

The logo of the Directorate of Municipal Administration (DMA) is circular. It features a green outer ring with the text "Directorate of Municipal Administration, Urban Development & Housing Department" in white. Inside the ring is a smaller circle with a blue sky and green trees. In the center of this inner circle is the State Emblem of India, which is a Lion Capital of Ashoka. Below the emblem, the letters "DMA" are written in a bold, green, sans-serif font.

**ट्रेड लाइसेंस नहीं होने पर दुकानें
होंगी सील, देना होगा जुर्माना**

निकेत कुमार सिंह भी मौजूद थे. बैठक में मुख्य रूप से ट्रेड लाइसेंस के नवीकरण पर जोर देते हुए प्रतिदिन रिपोर्ट देने व एक माह पूर्व सभी व्यवसायी को लाइसेंस फेल होने की सूचना देने को कहा गया. ट्रेड लाइसेंस को लेकर जेएनएसी गंभीर है. इसके लिए जल्द ही प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने जा रही है. जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानदारों का म्यूनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. बिना लाइसेंस या बिना अनुमति के व्यापार करते पकड़े जाने पर झारखंड काउंसिल अधिनियम 2011 के तहत जुर्माना के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है.

**नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग
खारखण्ड सरकार**

Toll free no.: 1800-120-2929 | Website : www.dmajharkhand.in

Follow us on :     @jarkhandDMA